न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–67 / 1995

आदेश

30/01/2024 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादी, प्रतिवादी सं0 2, 3 8 से 8 / बी, 10 से 13 एवं 14 की ओर से हाजरी दी गई। प्रतिवादी सं0 8 से 8बी के आवेदन दिनांक 16.12.2023 पर आदेश हेतु अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी सं0 8 से 8 / बी, अपने आवेदन दिनांक 16.12.2023 को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0 8 से 8 / बी द्वारा अग्रलिखित दस्तावेज 1. सैय्यद शाह इसरार हुसैन द्वारा आफताब हुसैन के पक्ष में किये गए दान का वास्तविक ज्ञापन, 2. वाद सं0–11 / 4 / 2015–16 के रेंट फिक्सेशन करने के आदेश का प्रमाणित प्रतिलिपि, 3. वास्तविक प्रतिवादी सं0–8 सैय्यद शाह इसरार हुसैन के नाम पर वास्तविक मालगुजारी रसीद दिनांक–10.10.2017, 4. अंचलाधिकारी, सदर पटना द्वारा स्वीकृत आफताब हुसैन के नाम वास्तविक एल.पी.सी. तथा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ मालगुजारी रसीद दाखिल किया गया है, साथ–ही इनके द्वारा आवेदन सहित लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ रिर्टन दिनांक–01.11.2023 का प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल किया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ वास्तविक दस्तावेज 1. 5 जेठ 1350 फसली को सैय्यद शाह हामिद हुसैन द्वारा सैय्यद शाह इसरार हुसैन को किए बंदोबस्ती का हुकुमनामा, 2. पूर्व भू–स्वामी द्वारा सैय्यद शाह इसरार हुसैन के नाम वास्तविक जमींदारी रसीद, 3. सर्वे खतियान की प्रमाणित प्रति, 4. तौजी सं0–303 के रजिस्टर–डी, जो रजिस्टर–ए के साथ संयुक्त है, की प्रमाणित प्रति दिनांक–25.07.2013 को स्टील–बॉक्स में सबजज–4, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उस समय गलती से उनके अभिलेख पर नहीं लिखा जा सका। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दि0–25.07.2013 की फोटोकॉपी इस आवेदन के साथ संलग्न है। उल्लेखित है कि प्रतिवादी सं0–8 के द्वारा जमा किए स्टील–बॉक्स में अंतर्निहित दस्तावेज सहित यह स्वत्व वाद अन्य न्यायालयों से हस्तांतरित होते हुए सबजज–6 के न्यायालय में आया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी सं0–8 के उक्त दस्तावेज न्यायिक अभिरक्षा में हैं, परंतु वाद के अभिलेख पर अंकित नहीं रहने के कारण वादी की ओर से आपत्ति है। उपरोक्त दस्तावेज वादग्रस्त सम्पत्ति के न्यायनिर्णयन के लिए प्रतिवादी सं0–8 की ओर से आवश्यक, प्रासंगिक एवं ठोस साक्ष्य हैं, और यदि ये दस्तावेज साक्ष्य में नहीं आते हैं तो प्रतिवादी को भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा। अतः, उपरोक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लाने तथा तदनुसार उसे साक्ष्य में स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

वादी द्वारा उपरोक्त आवेदन पर विचारण हेतु सहमति बनाये जाने के संबंध में पृष्ठांकित किया गया है एवं अन्य प्रतिवादीगण भी मौखिक रूप से अपनी–अपनी सहमति प्रदान किए हैं, परंतु कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किये हैं।

न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

30/01/2024 **स्वत्व वाद सं0–67/1995**

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद प्रतिवादी सं0–8 से 8/बी के साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है और प्रार्थी के द्वारा दाखिल अवेदन एवं कार्यालय लिपिक के रिपोर्ट में भिन्नता है कि प्रार्थी के द्वारा तथाकथित दस्तावेज कब फाइल किया गया है, अथवा नहीं, यह तथ्य अस्पष्ट है, साथ–ही यह भी ज्ञात होता है कि उक्त दस्तावेज बक्सा में बंद है, जो कार्यालय में उपलब्ध है, लेकिन वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थी के इस आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, बल्कि वे मौखिक रूप से समर्थन किए हैं कि प्रार्थी ससंघर्ष प्रतिवादी हैं, इसलिए प्रार्थी के आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के आवेदन दि0–16.12.2023 को न्यायहित में स्वीकार इस शर्त के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी सं0–8 से 8/बी प्रत्येक तिथि को साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा जिस तिथि को गवाह प्रस्तुत नहीं करेंगे उस तिथि से गवाही बंद माना जाएगा एवं प्रतिवादी सं0– 8 से 8/बी को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करें। साथ–ही उभयपक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वाद का यथाशीघ्र निष्पादन करने में न्यायालय को सहयोग करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके। वाद दिनांक–..... वास्ते प्रतिवादी सं0–8 से 8/बी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु।

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी।